जनपद वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु जनउपयोगी विभागीय योजनाओं का विवरण

1	योजना का नाम	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन।
2	सम्बन्धित विभाग का नाम	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन।
3	कार्यालयाध्यक्ष का पदनाम	उपायुक्त(स्वतःरोजगार)
4	कार्यालय का पता	विकास भवन प्रथम तल मुजफ्फरनगर।
5	कार्यालय दूरभाष	––
6	योजना के आरम्भ होने की तिथी	1 अप्रैल 2013
7	योजना के समाप्ति की तिथी	––
8	योजना का प्रकार	केन्द्रीय
9	योजना का संक्षिप्त विवरण	**योजना** – स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना 31 मार्च 2013 को प्रदेश में समाप्त हो गयी है। एस0जी0एस0वाई के स्थान पर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना दिनांक 01 अप्रेल 2013 से प्रारम्भ हो गयी है। इस योजना अन्तर्गत बीपीएल परिवारों की महिलाओं के समूह को गठित करने का प्रावधान है जिसमें 10–15 महिला सदस्य हो सकती है। एक समूह में कम से कम 70 प्रतिशत महिला सदस्य बीपीएल परिवार से होगीं तथा 30 प्रतिशत सदस्य ए0पी0एल परिवार से हो सकती हैं। समूह के सदस्यों को किसी एक प्रकार के क्रियाकलाप में संहत होना आवश्यक नहीं होगा। वे अलग–अलग भी किसी प्रकार के क्रिया कलाप/व्यवसाय को अपना सकते है। समूहों के गठन में महिला समूहों का ही गठन किया जाना है और जो समूह पूर्व में गठित है उनका पुर्नगठन कर महिला समूहों में परिवर्तित किया जाना है तभी समूहों को एनआरएलएम की सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। समूह के पदाधिकारी होने होते बीपीएल की बाध्यता नहीं है। एपीएल परिवार का सदस्य भी पदाधिकारी हो सकता है। **समूहों का पुर्नगठन**– नवगठित अथवा पुर्नगठित समूह में 10 से 15 तक सदस्य हो सकते हैं जो बीपीएल परिवार की महिलायें होंगी। एसजीएसवाई अन्तर्गत यदि 15 से अधिक संख्या का समूह है और यदि उसमें 5 पुरुष हैं तो उनको अलग करके 10 महिलाओं का समूह पुर्नगठित हो सकता है। ऐसे समूह की यदि द्वितीय ग्रेडिंग पूर्व में हो चुकी है तो उन्हे सीधा इन्टरेस्ट सबवेन्शन से लाभान्वित कराया जा सकता है। यदि ग्रेडिंग नहीं हुयी है तो मार्ग निर्देशों के अनुसार चरणबद्ध रुप से ग्रेडिंग कराते हुये कार्यवाही को अमल में लाया जायेगा। **रिवाल्विंग फण्ड व सीसीएल**– समूह को पूर्व योजना एसजीएसवाई की भांति समूहों की प्रथम

		ग्रेडिंग 3–6 माह की प्रगति एवं बचत के आधार पर गठित समिति द्वारा नाबार्ड द्वारा जारी किये गये मानकों के अनुसार की जायेगी। जिसकी प्रति खण्ड विकास अधिकारी को उपलब्ध करायी गयी। यह भी स्पष्ट किया गया कि प्रथम ग्रेडिंग उपरान्त समूह की कारपस राशि के अनुरुप रिवाल्विंग फण्ड की धनराशि 10000 से 15000 रु0 एनआरएलएम द्वारा प्रदान की जायेगी। तद्नुसार सीसीएल की स्वीकृति बैंक द्वारा की जायेगी। **ऋण प्रदान किया जाना**– समूह को उसको उसके ऋण भुगतान के रिपोर्ट के आधार पर बैंक द्वारा कई बार भी लाभान्वित किया जा सकता है। **इन्टरेस्ट सबवेन्सन**– इस योजनान्तर्गत कैपिटल सब्सिडी का कम्पोनेन्ट को हटा दिया गया है और अब उसके स्थान पर इन्टरेस्ट सबवेन्सन को लागू किया गया है जिससे यह लाभ होगा कि समूहों में इन्टरेस्ट सबवेन्शन की प्रत्याशा में बैंक ऋण के भुगतान की आदत का विस्तार होगा क्योंकि उनको यह सुविधा तभी प्राप्त होगी जब वे निरंतर ऋण की किश्तों का भुगतान करेंगे। इन्टरेस्ट सबवेन्शन में समूहों द्वारा दिये जाने वाले ब्याज की दर सात प्रतिशत होगी। बैंक द्वारा लिये जाने वाले शेष ब्याज की दर का भुगतान योजना अन्तर्गत मिशन द्वारा किया जायेगा। इन्टरेस्ट सबवेंशन का लाभ एपीएल सदस्यों को भी प्राप्त होगा क्योंकि बैंक द्वारा ऋण का भुगतान समूह को किया जायेगा न कि व्यक्तिगत स्वरोजगारी को।
10	योजना के लिये निर्धारित अर्हता	बी0पी0एल0सूची 2002 के परिवारों की ग्रामीण महिलाओं के समूह गठित कराये जाने के निर्देश है, जिसमें 10 से 20 सदस्य महिलाओं का होना आवश्यक है।एक समूह में अधिकतम 30 प्रतिशत महिला सदस्य ए0पी0एल0 परिवार से हो सकती है।
11	योजना किस वर्ग विशेष के लिये है	बी0पी0एल0सूची 2002 के परिवारों की ग्रामीण महिलाए वह किसी भी समुदाय की हो सकती है।
12	योजना आवेदन करने की प्रक्रिया	समूह गठन सम्बन्धित विकास खण्ड के ग्राम विकास अधिकारी / ग्राम पंचायत अधिकारी की सहायता से निर्धारित प्रपत्र पर किया जाता है।
13	आवेदन पत्र प्राप्त करने का स्थान	विकास खण्ड कार्यालय
14	आवेदनपत्र / फार्म शुल्क	निशुल्क
15	आवेदनपत्र / फार्म के साथ लगने वाले आवश्यक संलग्नको का विवरण	बी0पी0एल0 सूची का क्रमांक अंकित किया जाता है।

16	यदि आवेदन आनलाईन है तो वेबसाईट का एड्रेस	नहीं।
17	योजना के सम्बन्ध में दूरभाष पर जानकारी देने वाले कार्यालय के सम्पर्क सूत्र का पदनाम मोबाईल नम्बर सहित	उपायुक्त(स्वतःरोजगार) एन0आर0एल0एम, मो0नं0 9412142054
18	योजना के सम्बन्ध में जानकारी/शिकायत करने के सम्बंन्ध में विभाग का दूरभाष/टोल फ्री नम्बर/ई–मेल	drda-muz@nic.in
19	विभाग की वेबसाईट का एड्रेस	http://nrlm.gov.in